(6)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन सं0– 12/2017–18

चुड़की सोरेन ..... आवेदक

बनाम्

अर्जून मरांडी एवं अन्य .....विपक्षी

।। आदेश ।।

19 /03/2021

यह रे0मि0 रिविजन वाद संख्या– 12/2017–18 चुड़की सोरेन बनाम् अर्जून मरांडी एवं अन्य, मौजा बड़जोल, अंचल– रानीश्वर के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी.ए. वाद संख्या– 37/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2017 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

मैंने विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदिका की न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बड़जोल का अंतिम प्रधान आवेदिका की पति नकूल कुमार मरांडी थे। उनके मृत्यु के पश्चात आवेदिका द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु निम्न न्यायालय में पी.ए. वाद सं0 08/2016–17 दायर किया गया। विपक्षी की ओर से भी निम्न न्यायालय में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु पी.ए. वाद सं0– 37/2014–15 दायर किया गया। दोनों आवेदन सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत है। तत्पश्चात दोनों आवेदनों पर अंचल अधिकारी, रानीश्वर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आपत्ति आमंत्रण करते हुए मौजा के 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन पत्रांक 223/रा0 दिनांक 18.04.2017 को निम्न न्यायालय में समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में विपक्षी को प्रधान पद पर

(7)

सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त करने की अनुशंसा किया गया है कि विपक्षी पूर्व प्रधान के वंशज एवं छोटा भाई लगते है। पूर्व प्रधान स्व0 नकूल कुमार मरांडी की पत्नी चुड़की सोरेन जो आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका के पद पर कार्यरत है एवं पुत्री विनीता मरांडी ने लिखित घोषण पत्र प्रस्तुत किया है कि विपक्षी को प्रधानी पद पर नियुक्त होने से कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा कर विपक्षी अर्जून मरांडी को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु सहमति व्यक्त किया गया है। अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ही विपक्षी को मौजा का प्रधान पद पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। चुँकि वह पूर्व प्रधान बड़का मरांडी के पुत्र एवं अंतिम प्रधान का छोटा भाई है।

16 आना रैयत भी सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं थे।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका दिनांक 10.04.2018 से न्यायालय में उपस्थित नहीं है। जबकि आवेदिका को न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिये अंतिम मौका दिया गया था। 16 आना रैयतों की ओर से उपस्थिति नहीं पड़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदिका एवं 16 आना रैयतों को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः अभिरूचि के आभाव में वाद को खारिज किया जाता है।

लेखाप्रित एवं संशोधित।

19/3/2021

उपायुक्त
दुमका।

19/3/2021

उपायुक्त
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.08 13:02:48 +05:30
Location: 169.254.227.244